न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पिठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

GCMS प्रकरण संख्या 2022/150

प्रकरण संख्या 93/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री शंकरलाल पिता श्री बगदीराम जी कुम्हार, पैशा काश्त निवासी लूण्दा तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)।

....................प्रार्थीयां

बनाम

1 श्रीमती अमरतीबाई पुत्री मोडीबाई कुम्हार, निवासी लूण्दा तहसील कानोड़, जिला उदयपुर।

2. श्रीतजी तूलसीबाई पुत्री मोडीबाई कुम्हार, निवासी लूण्दा तहसील कानोड़, जिला उदयपुर।

3. श्री वरदीचन्द पुत्र मोडीबाई कुम्हार, निवासी लूण्दा तहसील कानोड़, जिला उदयपुर।

4. श्री सत्यनारायण पुत्र मोडीबाई कुम्हार, निवासी लूण्दा तहसील कानोड़, जिला उदयपुर।

5. श्री भवरलाल पुत्र सुखलाल जी धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा मजरा रामपुरा

6. श्री राजस्थान जरिये तहसीलदार कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)।

.................अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी : मुकेश कुमार डॉगी।

निर्णय

दिनांक : 09.06.2022

1. प्रार्थी श्री शंकरलाल पिता श्री बगदीराम जी कुम्हार, निवासी लूण्दा तहसील कानोड़, द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तरगत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा, तहसील कानोड़ की आराजी संख्या 1079 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1089 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1090 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1091 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी सख्या 1093 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आरजी संख्या [illegible]42 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि [illegible] के [illegible] खातेदारी हक से दर्ज होकर आधिपत्यधारी है एवं इस आराजी में प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार का कोई हक, हिस्सा व अधिकार आधिपत्य इत्यादि [illegible]

2. प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजियात की सीमा बाबत् आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिए पक्की पत्थर गढ़ी करवाना है इस हेतु प्रार्थी ने विपक्षीगण को कहा तो उन्होने इसके लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु कहा जिससे प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। उपरोक्त बिनाय प्रार्थना पत्र अंतिम बार दिनांक 17.04.2022 को पैदा हुई जब विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु कहा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर,जिला–उदयपुर(राज.)

3. अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात की नियमानुसार पक्की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया अप्रार्थीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 5 बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये जिनको बार–बार आवाजे दिलाई गई परन्तु विपक्षीगण एवं विपक्षीगण की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा विद्धान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिसमें मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ जिला उदयपुर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 176 की आराजी संख्या आराजी संख्या 1079 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1089 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1090 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1091 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी सख्ंया 1093 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आरजी संख्या 1350/1042 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी श्री शंकरलाल पुत्र बगदीराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपये पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ जिला उदयपुर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 176 की आराजी संख्या आराजी संख्या 1079 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1089 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1090 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1091 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी सख्ंया 1093 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आरजी संख्या 1350/1042 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला–उदयपुर (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh S Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:22 IS
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला–उदयपुर(राज.)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर,जिला–उदयपुर(राज.)